रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 1971/भाद्र 12, 1893
No. 158] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 1971/BHADRA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 3rd September 1971

G.S.R. 1262. :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 37-Customs, dated the 1st February, 1963, namely:—

In the said notification, for sub-clause (i) of clause (d), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(i) for the inland area of one hundred kilometres in width from the coast of India falling within the territory of the State of Gujarat, of Daman within the Union territory of Goa, Daman and Diu and of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli."

[No. 81/F. No. 437/4/71-Cus.IV.]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1971

सा० का० नि० 1262.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 37—सीमा-शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 1963 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, खंड (घ) के उपखण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(i) गुजरात राज्य के, गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के भीतर दमण के और दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाला भारत के समुद्र तट से एक सौ किलोमीटर चौड़े अन्तर्देशीय क्षेत्र के लिए।"

[सं० 81/फा० सं० 437/4/71/—सी०शु०—IV]

ज्योतिर्मय दत्त, उप-सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971